Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2018 SISRRJ | Volume 1 | Issue 1 | ISSN : 2581- 6306

बिहार में महिला शिक्षा की स्थिति और महिला समाख्या योजना

डॉ0 वंदना कुमारी
पूर्व शोध छात्रा (शिक्षाशास्त्र)
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,
कामेश्वर नगर दरभंगा, बिहार, भारत।

सारांश – वर्तमान समय में नारी शिक्षा के प्रति पूर्व प्रचलित संकुचित दृष्टिकोण को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। आज भारत में पुरूषों के समान स्त्रियों को शैक्षिक अधिकार प्राप्त है । आज महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में पुरूष के समान सक्रिय रूप से भाग ले रही है। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा भी महिलाओं की शिक्षा के संबंध में अनेक प्रकार की योजनाओं को लागू किया गया है जिसके माध्यम से महिलाओं की सुव्यवस्थित शिक्षा की राह में आ रही कठिनाईयों को दूर करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यशब्द – बिहार, महिला, शिक्षा, महिला, समाख्या, योजना, वर्तमान।

प्राचीन काल से आज तक विश्व के सभी विचारकों, दार्शनिकों तथा शिक्षाविदों ने नारी शिक्षा के महत्व को सदैव अनुभव किया है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा परम्परा में नारियों को सदैव ही सम्मानजनक स्थान दिया जाता था। उन्हें देवी मॉ या सहचरी कहकर पुकारा जाता था। यह भी कहा गया है–यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता''। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भी वर्गभेद व लिंग भेद को समाप्त कर सभी को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। परंतु इसके बावजूद कतिपय रूढिवादी कारणों से एक लंबे समय तक महिलाओं को सदियों तक विद्या की देवी मॉ सरस्वती की आराधना करने से विमुख रखा गया। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, '' महिलाओं को सदैव असहायता तथा दूसरों पर दासवत निर्भरता का प्रशिक्षण दिया गया।'' वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन तथा मध्यकालीन समाज में स्त्रियों को अज्ञानता के आवरण में रखकर पिता, पति या पुत्र के दासत्व को स्वीकार करने के कार्यक्रम के कर्तव्य के अज्ञान देने मात्र को ही उस समय की स्त्री शिक्षा की इतिश्री समझा जाता था।

परंतु आज परिस्थितियॉ बदल गयी है । आज स्त्रियॉ शिक्षा प्राप्त करके समाज के महत्वपूर्ण कार्यो में पुरूषों के साथ योगदान कर रही है। वे आज घर की चहारिदवारी के अंदर घुटकर भाग्य के भरोसे बैठी अनपढ़ कठपुतली मात्र नहीं है। वरन अज्ञानता के आवरण से बाहर आकर तथा ज्ञान के आलोक में परिपूर्ण होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे पुरूषों से स्पर्धा करने के लिए तत्पर है। वास्तव में वर्तमान समय में स्त्रियों में क्रांतिकारी परिवर्तन तथा महिला सशक्तिकरण का प्रमुख क्षेत्र स्त्री शिक्षा के प्रचार–प्रसार का है।

नारी शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीन काल में नारी शिक्षाः–

भारत में प्राचीन काल से स्त्रियों की शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था क्योंकि स्त्री जीवन के हर पहलू में पुरूष का साथ देती है । वैदिक साहित्य में गार्गी, मैत्रयी, आत्रेय, शकुन्तला आदि अनेक विदुषी स्त्रियों की चर्चा मिलती है। इस समय नारी शिक्षा अत्यंत सीमित थी तथा केवल समाज के संभ्रात परिवारों की लड़कियॉ ही शिक्षा प्राप्ति के अवसरों का सदुपयोग कर पाती थी। उस समय स्त्रियों के लिए पृथक शिक्षा संस्थाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी और न ही उस काल में स्त्रियों की शिक्षा के लिए कोई सुसंगठित व्यवस्था नहीं थी। फिर भी प्राचीन काल में मैत्रयी, लोपमुद्रा, अपाला, शैव्या, सीता, उर्मिला, विद्योत्तमा, चुडाला जैसी अनेक नारियों ने अपनी विद्वता, त्याग एवं समर्पण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया।

बौद्धकाल में प्रांरभिक वर्षो में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, परंतु बाद में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ के रूप में प्रवेश करने की अनुमति देकर स्त्री शिक्षा को एक नया आयाम दिया, जिसके कारण स्त्री शिक्षा को एक नया जीवन मिला। उस समय के संघमित्रा जैसी विदुषी नारियों के नाम विशेष उल्लेखनीय है। शिक्षा केवल घनी–मनी व कुलीन घरानों तक ही सीमित थी।

मुस्लिम काल में नारी शिक्षाः–

मुस्लिम काल में भी स्त्रियॉ शिक्षा से उपेक्षित ही रहीं। उस काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी प्रथा प्रचलित होने के कारण छोटी–छोटी बालिकाओं के अतिरिक्त अन्य स्त्रियॉ शिक्षा से वंचित रह जाती थी। शाही घरानों तथा समाज के घनी वर्गो की बालिकायें अपने घरों से शिक्षा प्राप्त करती थी। मुस्लिम बालिकायें मस्जिद से जुड़े मकतबों में तथा संभ्रात, कुलीन तथा शाही परिवार प्रायः अपना घरों में मौलवी को बुंलाकर स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। मुस्लिम काल में सामान्य वर्ग की स्त्रियॉ में रजिया सुल्ताना, चॉद बीबी, नूरजहॉ, गुलबदन बेगम, जेबुनिसा, रानी दुर्गावती, जीजाबाई, अहिल्याबाई के नाम विशेष उल्लेखनीय है।

ब्रिटिश काल में नारी शिक्षाः–

ब्रिटिश काल में कंपनी को भारत में अपना प्रशासन चलाने के लिए स्त्री लिपिकों अथवा प्रशासकों की आवश्यकता नहीं थी। समाज एवं धर्म में अनेक प्रकार के अंधविश्वास प्रचलित होने के कारण कंपनी ने स्त्री

शिक्षा में कोई रूचि नहीं ली। फिर भी कंपनी शासन के दौरान स्त्री शिक्षा का प्रसार मिशनरियों तथा अन्य सामाजिक संस्थानों के द्वारा किये गये प्रयासों से प्रारंभ हुआ।

सन् 1854 में वुड के आदेश पत्र में अधिकारिक तौर पर सबसे पहले स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया तथा स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के सभी संभव प्रयास किये गये। परिणामस्वरूप प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी। सन् 1902 ई0 तक स्त्री शिक्षा में एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसी संस्थाओं ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया।

भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान कस्तूरबा गॉधी, मीरा बहन, भीखा जी कामा जैसी अनेक बिदुषी महिलाएँ ने अपने देश प्रेम, त्याग व योग्यता से महिलाओं की उन्नति की मार्ग प्रशस्त किया।

सन् 1917 से सन् 1947 तक स्त्री शिक्षा का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ। इस काल में स्त्रियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। इसी समय भारतीय नारी संगठन तथा राष्ट्रीय महिला परिषद् की स्थापना हुई। 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन हुई। शारदा एक्ट के द्वारा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दी गयी। परिणामस्वरूप नारी शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ी साथ ही बड़ी संख्या में नारियॉ शिक्षा ग्रहण करने लगी।

नारी शिक्षा की वर्तमान स्थितिः–

सन् 1947 में स्वाधीनता प्राप्त करने के उपरांत महिलाओं की सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अज्ञानता, परतंत्रता, रूढिवादिता तथा असहायता के बंधनों से मुक्त होकर भारतीय स्त्रियॉ आज एक सम्मानजनक जीवन जी रही है। स्त्रियों से संबधित सामाजिक मान्यताएं बदल रही है। भारतीय संविधान में पुरूषों तथा स्त्रियों को पूर्ण स्वरूप सम्मान दर्जा देते हुए भी शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। स्वतंत्रता के उपरांत नारी शिक्षा के मार्ग में आनेवाली बाधाओं को जानने तथा उसका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अनेक समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया।

बिहार में महिला शिक्षा की स्थिति

किसी भी राष्ट्र/राज्य की पहचान साक्षरता से होती है, इसकी सभ्यता, संस्कृति से होती है। शांति दूत भगवान बुद्ध और महावीर को बिहार की ही मिट्टी ने ज्ञनोदीप्त किया था, चंपारण आंदोलन प्रारंभ कर बापू ने भी बिहार को कर्मभूमि बनाया, वहीं तक्षशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय को अपने आगोश में स्थापित किये हुए बिहार का गौरव विश्व में स्थापित किया, लेकिन अफसोस की उस गौरवपूर्ण बिहार का गौरव का बरकरार नहीं रहा। गरीबी–बदहाली, अशिक्षा, बाढ़, टूटी–फूटी सड़के, बिजली का अभाव, राहजनी यहॉ का पर्याय बन गया था, लेकिन वर्तमान में पुनः यह राज्य अपने ऐतिहासिक गौरव को प्राप्त करने में कदम दर कदम बढ़ाये जा रहा है।

जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है उसी देश में महिलाओं की शिक्षा व घटती संख्या सोचनीय है। घरेलू हिंसा, दहेज, भ्रूण हत्या एवं अशिक्षा में जकड़ी महिलाओं की मौजूदा हालत राष्ट्र को कलंकित करने के साथ सृष्टि रचना में बाधक बनकर प्रकृति से खिलवाड़ भी करती है। एक रिपोर्ट के अनुसारः–

- स्वभाविक तौर पर 1997 में भारत में 1.36 करोड से 1.38 करोड बालिकाओं का जन्म होना चाहिए था, परंतु भूण हत्या के कारण 6 लाख से 7.4 लाख बालिकाओं का जन्म ही नहीं हुआ। इस प्रकार यदि 10 वर्षो का आंकड़ा तैयार किया जाय तो यह एक करोड़ आता है, जिन्हें दुनिया में आने नहीं दिया गया।
- विश्व के 70 प्रतिशत गरीब तबके और अनपढ लोगों में महिलाएँ आती है।
- विश्व का जहॉ प्रत्येक तीसरा व्यक्ति निरक्षर है, वहीं हर दूसरे महिला निरक्षर की श्रेणी में आती है।
- भारत के कई राज्यों में महिलाओं की साक्षरता देश के औसत साक्षरता से कम है।
- बिहार की कुल साक्षरता 61.8 प्रतिशत है, जबकि देश की 73.00 प्रतिशत जिसमें महिलाओं की साक्षरता मात्र 65.60 प्रतिशत है जबकि पुरूष साक्षरता 80.90 प्रतिशत है। इस प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार बड़ी संख्या में महिलाएँ यहॉ अब भी निरक्षर है।
- भारत के दस न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों में बिहार के चार जिले भी सम्मिलित है। देश में लगभग 295 जिले आज भी ऐसे है जहॉ एक भी महिला शिक्षित नहीं है।
- बिहार में महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरूष पर 918 है, जो राष्ट्रीय औसत 943 से कम है।
- बिहार में अनुसूचित जाति की महिलाओं की संख्या 7961072 है । दलित महिलाओं की साक्षरता पर दृष्टि डाले तो इसमें 2001 से 2011 के मध्य काफी वृद्धि हुई है, जो शिक्षा के प्रति आयी जागरूकता का परिणाम है।
- सर्वेक्षण में पाया गया 80 प्रतिशत अशिक्षित, कमजोर, पिछड़ी महिलाओं के साथ बलात्कार, बलात्कार का प्रयास, छेड़छाड़, पुलिस उत्पीड़न की घटनाएँ होती है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2006 के अनुसार वर्ष 2006 में दुष्कर्मो के 1314, अपहरण के 2551, दहेज प्रथा के 7618, पति व रिश्तेदारों के क्रूरता के 5204, छेड़छाड़ के 2414 मामले दर्ज हुए हैं।
- 2005 में बिहार दहेज के लिए 1014 महिलाओं की हत्या हुई। वह उतर प्रदेश 1564 की तुलना में दूसरे नम्बर पर था।
- बिहार में ग्रामीण शिक्षा को हाशिये पर रख दिया गया। जिससे स्कूल न जानेवालों की एक लंबी फौज खड़ी हो गयी और हम शिक्षा में पिछडते गये।

  अभी भी स्कूल से बाहर निरक्षर बच्चों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। पूरे देश में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के करीब 4 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते है जिनमें अधिकांश बालिकाएँ है।
- बिहार में 6–14 वर्ष के सर्वाधिक लगभग 24 लाख बच्चे प्रारंभिक स्कूलों से बाहर खड़े है।
- 6–17 वर्ष की मात्र 51 प्रतिशत बालिका ही विद्यालय जाती है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न विकास योजनाएँः–

- बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत में महिलाओं की सुनिश्चित भागीदारी हेतु सभी एकल पद सहित 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऐसा करनेवाला बिहार देश का पहला राज्य है।
- नगर निकायों में भी महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है।
- ग्राम कचहरी की स्थापना कर न्याय मित्रों के पद हेतु तथा शिक्षकों की भर्ती में भी 50 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- एक नये बटालियन बिहार महिला सशस्त्र पुलिस बल स्वीकृत की गयी है।
- नारी शक्ति नामक योजना महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण हेतु प्रारंभ की गयी है। इसमें पूरे राज्य में अल्पावास, गृह सहित हेल्प लाइन योजना का प्रसार, रक्षा गृह की स्थापना, पालनाघर, कामकाजी महिला छात्रावास, सामाजिक पुनर्वास कोष की स्थापना, स्वयं सहायता समूहों का संगठन एवं सुदृढीकरण एवं महिला सूचना एवं संसाधन केंद्रों की स्थापना की योजना बनायी गयी है जिसपर कार्यान्वयन हो रहा हैं ।
- मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत लिंगभेद की विषमता को समाप्त करने, शैक्षणिक समानता, शैक्षणिक गुणवता में वृद्धि, महिलाओं को सशक्त बनाकर सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु योजना लागू की गयी है। इसमें कक्षा 6 से 8 में अध्ययन करनेवाली छात्राओं को पोशाक के लिए हर साल 700 सौ रूपये देने की योजना है। इसके अंतर्गत छात्राएं दो जोड़ी पोशाक तथा जूते से बची राशि का उपयेाग स्टेशनरी के लिए करेंगी। इसके लिए छात्राओं की 80 उपस्थिति अनिवार्य की गयी है। यह राशि छात्राओं के नाम बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

- मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना विशेषकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नौंवी कक्षा में अध्यनरत छात्राओं को उपलब्ध करायी जाती है।
- महिलाओं की घटती संख्या से चिंतित सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना प्रारंभ की है। दहेज, घरेलू हिंसा, बाल विवाह को रोकने, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु गरीब परिवार की कन्या के विवाह के समय जिसकी उम्र 18 वर्ष हो आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना का प्रारंभ राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के द्वारा किया गया।
- कन्या विवाह योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र के वैसे परिवारों को लाभांवित करने का लक्ष्य है जिसकी वार्षिक आय 60 हजार रूपये से कम है।
- इस योजना का लाभ 22 नवंबर 2007 के पश्चात संपन्न विवाहों के लिए दिया जायेगा। कन्या के विवाह का समय 5000 रूपये का भुगतान कन्या के नाम चेक/ड्राफ्ट के द्वारा किया जायेगा।

- मुख्यमंत्री समग्र शिक्षा पुरस्कार योजना प्रारंभिक विद्यालयों में सर्वाधिक नामांकन और सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आरंभ की गयी है। ऐसा करनेवाले प्रखंड को प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री समग्र शिक्षा पुरस्कार देने की योजना का क्रियान्वयन किया गया है।
- मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास कार्यक्रम स्कूल के बाहर छुट गये 24 लाख बच्चों को स्कूल के अंदर लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है।

स्कूली शिक्षा का संपूर्ण विकास के अंतर्गत राज्य के सभी 38 जिलों के प्राथमिक तथा मध्य विद्यालयों के एक साथ उत्थान के लिए किया गया है। इसमें किसी स्कूल के लिए एक कक्ष बनाने के स्थान पर प्रत्येक स्कूल के सभी कक्षों एवं संपूर्ण माहौल को सुरूचिपूर्ण एवं बच्चों के अनुकूल बनाने की पहल की गयी हैं । विद्यालय की पहचान एक आदर्श विद्यालय की यथा शौचालय, पीने के पानी की सुविधा, खेल के मैदान युक्त बनायी गयी है।

- समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन नौनिहालों के विकास के लिए किया गया है। फरवरी 2006 में समाजशास्त्री डॉ0 सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय शिक्षा विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया।
- निराश्रित और बेसहारा बालिकाओं के लिए पूरे देश में अनोखा बालिका गृह 'निशान्त' पटना में स्थापित किया गया है।
- बिहार विद्यालय शिक्षा समिति 2007 बनाया गया है।
- सर्वशिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्त्री पुरूष असमानता तथा सामाजिक विभेद को पाटकर वर्ष 2001 से 2002 में बिहार के 17 जिलों में लागू किया गया। जो वित्तीय वर्ष 2002–03 से सभी जिलों में सफलतापूर्वक चल रहा है।
- बालिकाओं के विद्यालयों में पहुंच एवं ठहराव सरल हो, उनकी अधिक से अधिक सहभागिता हो तथा उनके सशक्तिकरण के लिए कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गयी है। जहॉ 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय तथा 25 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की ऐसी बालिका जिनका स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है तथा 10 वर्ष से उपर के उम्र वाली बालिकाओं का प्राथमिकता के आधार पर नामांकन किया जाता है।

महिला समाख्या योजना

सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गो के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। महिला समाख्या स्कीम में समानता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के केंद्रीयकरण को मान्यता प्रदान की गयी है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महिला समाख्या के तहत एक नवाचारी दृष्टिकोण अपनाया गया है। जिसमें मात्र लक्ष्यों को प्राप्त करने बजाए प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला समाख्या के तहत

शिक्षा को न केवल साक्षरता, कौशल प्राप्त करने के माध्यम के रूप में माना गया हैं अपितु इसे प्रश्न पूछने, मुद्दों और समस्याओं का विशेष रूप से विश्लेषण करने तथा समाधान करने की प्रक्रिया के रूप में माना गया है। इसके तहत महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जाता है जिसमें महिलाएं स्वयं अपनी ओर से अध्ययन कर सके। अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सके और अपनी पसंद के अनुसार ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर सके। इसमें महिलाओं में अपने अवधारणा में परिवर्तन लाने तथा महिलाओं की परंपरागत भूमिकाओं के संबंध में समाज की अवधारणा में परिर्वतन लाने का प्रयास किया गया है। यह अनिवार्य रूप से महिलाओं विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभान्वित तथा अन्य कमजोर वर्ग की महिलाओं को सक्षम बनाना है ताकि वे अलगाव और आत्मविश्वास की कमी कठोर सामाजिक प्रथाओं जिन्हें उनके अध्ययन में शामिल किया गया है, का समाधान कर सके, अस्तित्व के लिए संघर्ष कर सके। इस प्रक्रिया में महिलाएं सशक्त होगी।

योजना का क्रियान्वयन

महिला समाख्या स्कीम महिला संघों के माध्यम से बुनियादी स्तर पर महिलाओं की अधिकारिता की नींव रखने में सफल हुई है। राज्यों में संघों ने दैनिक न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने, पेयजल नागरिक सुविधाओं में सुधार लाने, बच्चों विशेष रूप से बालिकाओं के लिए शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करने से लेकर राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश करने, उनकी चिंताओं को दूर करने तथा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा बाल–विवाह दहेज आदि समस्याओं का समाधान करने जैसे विषयों तथा समस्याओं को दूर करने में पहल की है। महिला समाख्या योजना के प्रभावीपन ने महिलाओं को शिक्षा हेतु गतिशील करके सर्वशिक्षा अभियान (एस0एस0ई) के साथ भी निकट अंतरण करने में परिणत हुई है।

वर्तमान में राज्य में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चल रही महिला सशक्तिकरण योजना महिला समाख्या बंद हो गयी है। इसके बंद होने से 4 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछडे वर्ग की चार लाख महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया रूक गयी है। महिला समाख्या सोसायटी राज्य के 21 जिलों में काम करती थी। इसके जरिये नक्सल प्रभावित 72 प्रखंडों में नारी अदालत का संचालन किया जाता था। साल 2016 के जून में ही इस योजना को केंद्र सरकार ने बंद कर राज्यों को अपने स्तर से चालू करने को कहा था, कई राज्यों ने इस योजना को चालू किया, लेकिन राज्य सरकार ने कोई पहल नहीं की। जबकि आई0आई0एम0 हैदराबाद ने महिला समाख्या पर अध्ययन किया था। इसके बाद इसे अबतक की सबसे अच्छी योजना बताया गया। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत केंद्र प्रदत राशि से राज्य 1992 से महिला समाख्या कार्यक्रम समाज की गरीब, दलित व अभिवंचित महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए चलाया जा रहा है।

महिला समाख्या ने महिलाओं को राजमिस्त्री और चापाकल बनाने के काम में दक्ष बनाया। राज्य में 563 महिला राजमिस्त्री है। पॉच सालों में महिला समाख्या की महिलाओं द्वारा एक लाख से अधिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका हैं। इसके साथ ही सासाराम और बक्सर की सैकड़ों महिलाओं ने चापाकल मरम्मत का काम भी सीखा था। अब भी कई महिलाएँ चापाकल मरम्मत का काम कर रही हैं। बिहार की महिला शिक्षण केंद्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रमों के अंतर्गत 11 सौ विद्यालयों की पॉच लाख किशोरियों को कराटे

प्रशिक्षण व 22 हजार किशोरियों को कराटे प्रशिक्षक के तौर पर पीला बेल्ट दिलवाया गया। राज्य में बेटियों के जन्म पर बीटियॉ जन्मोत्सव मनाने की योजना की शुरूआत महिला समाख्या द्वारा की गयी थी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान समय में नारी शिक्षा के प्रति पूर्व प्रचलित संकुचित दृष्टिकोण को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। आज भारत में पुरूषों के समान स्त्रियों को शैक्षिक अधिकार प्राप्त है । आज महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में पुरूष के समान सक्रिय रूप से भाग ले रही है। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा भी महिलाओं की शिक्षा के संबंध में अनेक प्रकार की योजनाओं को लागू किया गया है जिसके माध्यम से महिलाओं की सुव्यवस्थित शिक्षा की राह में आ रही कठिनाईयों को दूर करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

संदर्भ

1. अग्निहोत्री , रविन्द्र (2006)– आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएँ और समाधान, जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
2. गुप्ता, एस0पी0 तथा अल्का गुप्ता 2007–भारतीय शिक्षा का ताना–बाना, इलाहाबाादः शारदा पुस्तक भवन।
3. सिंघल, महेश चन्द्र (1971)–भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ, जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
4. रावत, प्यारे लाल (1975)–प्राचीन और भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगराः भारत पब्लिकेशन्स।
5. योजना, सितम्बर 2008 अंक, लोधी रोड, नई दिल्ली।
6. Mahila Samakhya Bihar, Report of Activities (ud)
7. Jain,S. (2003) -Gender equality in education, Community based initiatives in India.
8. Anita Digha, Mahila Shikshan Kendras of Bihar, A Study (1999), Joint GOI-UN System education programme.
9. http:/hi.m.wikipedia.org